

## मैनुअल-15

सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष की यदि लोक उपयोग के लिए व्यवस्था की गई हो तो उसका भी विवरण

## लोक उपयोग के लिये सूचना अभिप्राय करने हेतु उपलब्ध सुविधाओं का विवरण

उत्तराखण्ड कैम्पा के स्तर पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत अनिवार्य रूप से तैयार किये जाने वाले 17 मैनुअल तैयार किये गये हैं। सूचना का अधिकार से सम्बन्धित 17 मैनुअल तथा विभाग से सम्बन्धित अन्य सूचनायें उत्तराखण्ड कैम्पा की वेबसाईट [www.ukcampa.org.in](http://www.ukcampa.org.in) तथा उत्तराखण्ड कैम्पा के कार्यालय— मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा, 05 पंचशील पार्क, चकराता रोड, देहरादून में संधारित की गयी हैं।

उत्तराखण्ड कैम्पा से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की सूचनाओं को प्राप्त करने की दिशा में, नागरिकों को निम्न सुविधायें उपलब्ध कराई जाती हैं:—

(क) विशेष कक्ष तथा उनके बैठने की सुविधा।

(ख) पानी, शौचालय आदि की सुविधा।

(ग) आवेदन पत्रों को प्राप्त कर उन्हें ससमय सूचना प्रदान करना अथवा सम्बन्धित को अन्तरित करने की सुविधा अथवा आवश्यकता पड़ने पर सम्बन्धित अभिलेख/सूचना से सम्बन्धित दस्तावेजों का अवलोकन कराने की सुविधा।